"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 सितम्बर 2013—भाद्र 16, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

आदेश

क्रमांक एफ-2-258/2009/सात-1.—श्री ओ. एन. द्विवेदी, तत्कालीन अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला कोरबा को मसाहती ग्राम झगरहा, पटवारी हल्का नंबर-10, ग्राम रामपुर, पटवारी हल्का नंबर-4 राजस्व निरीक्षक मंडल कोरबा की शासकीय भूमि को निजी भूमि बतलाकर कब्जा दिलाये जाने तथा मसाहती ग्राम रामपुर पटवारी हल्का नंबर-4 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील कोरबा जिला कोरबा के मिसल बंदोबस्त में खसरा नंबरों को अन्यत्र दर्शाकर शासकीय अभिलेखों में कूटरचना किये जाने तथा बिना स्थल जांच किये नामान्तरण आदेश पारित किये जाने के आरोप पर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के द्वारा आदेश दिनांक 29-08-2009 के द्वारा निलंबित किया जाकर पत्र दिनांक 23-9-2009 से द्विवेदी के विरुद्ध आरोप पत्रादि प्रसारित किये गये. श्री द्विवेदी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप विवरण निम्नानुसार है :-

आरोप क्रमांक-1 :-

मसाहती ग्राम झगरहा पटवारी हल्का नं.-10 रामपुर पटवारी हल्का नं.-4 की शासकीय भूमि को निजी भूमि स्वामी हक की भूमि बताकर कब्जा दिलाया गया है.

आरोप क्रमांक-2 :-

ग्राम रामपुर (मसाहती ग्राम) के पटवारी हल्का नं.-4 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील कोरबा के मिसल बंदोबस्त में उल्लेखित खसरा नंबरों क्रमश: 92, 93, 98, 142, 143, 162, 181 एवं 201 जिसकी वास्तविक स्थिति कोरबा से रिसदी होकर जाने वाले मार्ग ढेगुरनाला के पास अवस्थित है, उसको अन्यत्र दर्शाकर शासकीय अभिलेखों में कूटरचना किया जाना तथा बिना स्थल जांच किये नामांतरण आदेश पारित किया गया है.

आरोप क्रमांक-3 :-

ग्राम रामपुर पटवारी हल्का नं.-4 तहसील व जिला कोरबा में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 203/2 रकबा 50.00 एकड़ भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को वर्ष 1981 को हस्तांतरण हुई है, उक्त भूमि वर्तमान में पटवारी अभिलेख में प्रशासकीय क्षेत्र अंकित है.

क्रेता विजय बुधिया पिता स्व. श्यामसुंदर बुधिया को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से क्रेता द्वारा क्रय की भूमि खसरा नंबर-92, 93, 98, 142, 143, 162/1, 181 एवं 201 रकबा 4.04 एकड़ को बिंना स्थल जांच किये शासकीय भूमि खसरा नंबर 203/2 रकबा 50.00 एकड़ पर कब्जा दिया गया है.

आरोप क्रमांक-4 :-

मसाहती ग्राम डूमरडीह पटवारी हल्का नंबर-10 राजस्व निरीक्षक मंडल भैसमा तहसील व जिला कोरबा में स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 5/2 रकबा 0.70 एकड़ (0.283 हे.) भूमि का विक्रय कूटरचित कर क्रेता को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जाति कंवर को केंवट करके विक्रय किया गया है. पुराने अभिलेखों का परीक्षण किये बिना क्रय विक्रय पत्र के आधार नामांतरण आदेश पारित किया गया है.

2/- उक्त आरोप-पत्र के संदर्भ में श्री द्विवेदी से प्राप्त प्रतिवाद उत्तर दिनांक 08-10-2009 को समाधानकारक न पाते हुए आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के आदेश दिनांक 10-11-2009 के द्वारा श्री द्विवेदी के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच संस्थित करते हुए श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर कोरबा को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री जे. पी. सिंह, अधीक्षक, भू-अभिलेख कलेक्टर कार्यालय कोरबा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया.

3/- श्री द्विवेदी को शासनादेश दिनांक 26-05-2010 के द्वारा निलंबन से बहाल किया जाकर जांजगीर-चांपा में पदस्थ किया गया है.

4/- श्री द्विवेदी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण कर पत्र दिनांक 29-06-2010 से विभागीय जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारी के द्वारा निम्नानुसार निष्कर्ष दिये गये हैं :-

आरोप क्रमांक-1	-	सिद्ध पाया गया.
आरोप क्रमांक-2	-	सिद्ध पाया गया.
आरोप क्रमांक-3	-	सिद्ध नहीं पाया गया.
आरोप क्रमांक-4	-	सिद्ध पाया गया.

5/- श्री द्विवेदी के विरुद्ध आरोप क्रमांक-1, 2 एवं 4 सिद्ध पाये जाने एवं आरोप गंभीर स्वरूप का होने के कारण श्री द्विवेदी को दीर्घ शास्ति से दंडित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-08-2010 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है.

6/- शासन स्तर पर आगामी कार्यवाही करते हुए जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त करते हुए पत्र दिनांक 13-01-2011 के द्वारा जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि श्री द्विवेदी को उपलब्ध कराते हुए सिद्ध आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया. सूचना पत्र के संदर्भ में श्री द्विवेदी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 31-01-2011 से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. अभ्यावेदन के समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री द्विवेदी द्वारा ऐसे कोई ठोस तथ्य/तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि अभ्यावेदन मान्य किया जाए.

7/- उपरोक्त उल्लेखित आरोपों के लिए श्री द्विवेदी के विरुद्ध थाना बाल्को नगर कोरबा के अपराध क्रमांक 459/09 की धारा 420, 467, 468, 34 भा. दं. वि. एवं अपराध क्रमांक 397/09 की धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा. दं. वि. के अंतर्गत दिनांक 01-03-2011 को गिरफ्तार किये जाने तथा 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए जिला जेल कोरबा में निरुद्ध किये जाने के कारण आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के आदेश दिनांक 24-03-2011 के द्वारा निलंबित किया गया है, उक्त अपराधों में दिनांक 27-05-2011 एवं दिनांक 15-06-2010 को माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है.

8/- श्री द्विवेदी के विरुद्ध प्रमाणित आरोप से यह सिद्ध होता है कि श्री द्विवेदी ने गंभीर कदाचरण किया है. अतः श्री द्विवेदी के विरुद्ध बरती गई गंभीर कदाचरण के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 (सात) में वर्णित शास्ति अर्थात् "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधिक निर्णय लिया गया.

9/- चूंकि श्री द्विवेदी राजपत्रित संवर्ग के अधिकारी हैं अत: शासन द्वारा लिये गये प्रावधिक निर्णय पर सहमति हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17-07-2013 से प्रकरण छ. ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर को प्रेषित किया गया. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1058/74/2013/ जी. एस., दिनांक 19 अगस्त, 2013 से शासन द्वारा लिये गये प्रावधिक निर्णय पर अपनी सहमति दी है.

10/- अत: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओ. एन. द्विवेदी, तत्कालीन अधीक्षक भू-अभिलेख कोरबा के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं कदाचरण के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-10 (सात) में वर्णित शास्ति अर्थात् "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" की शास्ति अधिरोपित करता है. निलंबन अवधि के लिए जीवन-निर्वाह भत्ता के अलावा और कोई राशि देय नहीं होगी. निलंबन अवधि को अन्य प्रयोजन के लिए सेवावधि मान्य किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रकांत उइके, उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.